

प्रेस नोट

दिनांक 19.10.2026

विद्यालयों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 03 शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी का सामान व ₹7,200/- नगद बरामद-

कार्यवाही—

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर दुल्लापुर क्रासिंग के पास से 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से विद्यालयों से चोरी किया गया 01 रसोई गैस सिलेण्डर, 02 सीलिंग फैन, 01 इन्वर्टर, 01 बैटरी तथा चोरी के सामान को बेचकर प्राप्त ₹7,200/- नगद एवं घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 18.10.2026 को थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा दुर्गा पूजा त्यौहार के दृष्टिगत कटी तिराहे पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि क्षेत्र में हुई विभिन्न चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्त चोरी का सामान लेकर अयोध्या की ओर बेचने के लिए जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा दुल्लापुर क्रासिंग के पास चेकिंग प्रारम्भ की गई। कुछ समय बाद एक सफेद रंग का ई-रिक्शा संख्या UP42DT9535 आता दिखाई दिया, जिसे पुलिस टीम द्वारा रोककर चेक किया गया। ई-रिक्शा में सवार तीनों व्यक्तियों की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से ₹7,200/- नगद तथा ई-रिक्शा में चोरी का सामान बरामद हुआ। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा दिनांक 26.07.2026 को कम्पोजिट विद्यालय छोटका बन्धवा रमराईपुर, दिनांक 30.08.2026 को कम्पोजिट विद्यालय तुरकौली तथा दिनांक 29.09.2026 को कम्पोजिट विद्यालय चकशिवरहा में चोरी की घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया गया। अभियुक्तों ने बताया कि चोरी किए गए सामान में से कुछ सामान राह चलते कबाड़ियों को बेच दिया था तथा उससे प्राप्त रुपये आपस में बांट लिए थे। संबंधित विद्यालयों से हुई चोरी की घटनाओं के संबंध में थाना नवाबगंज एवं थाना वजीरगंज पर अभियोग पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

1. मो० जुनैद पुत्र अब्दुल गनी, निवासी ग्राम बहादुरा कविराज पुरवा, थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा
2. मो० अमन पुत्र अनवर अली, निवासी मोहल्ला मुठ्ठीगंज, थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा
3. रोहित पुत्र सुखबू, निवासी कटी तिराहा रेलवे कालोनी, कस्बा/थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा

अनावरित अभियोग—

- 01- मु०अ०सं० 315/2026, धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
- 02- मु०अ०सं० 354/2026, धारा 305(ई), 317(2) बीएनएस, थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
- 03- मु०अ०सं० 347/2026, धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

- 01 अदद रसोई गैस सिलेण्डर
- 02 अदद सीलिंग फैन (बिना पत्ती)
- 01 अदद इन्वर्टर
- 01 अदद बैट्री
- ₹7,200/- नगद
- 01 अदद सफेद रंग का ई-रिक्शा संख्या UP42DT9535

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

- 01- उ०नि० वीरेन्द्र यादव, थाना नवाबगंज

- 02- उ०नि० रामचन्द्र यादव
- 03- म०उ०नि० अन्तिमा सिंह
- 04- हे०कां० अभिषेक सिंह
- 05- कां० शैलेन्द्र सिंह
- 06- कां० रामवीर यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 19.10.2026

थाना कोत नगर पुलिस द्वारा नाजायज गांजा के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही—

दिनांक 18.10.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा दुर्गा पूजा के दृष्टिगत क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास की सूचना प्राप्त हुई कि रेलवे स्टेशन गोण्डा के गेट नं०-02 से आगे रेलवे गेस्ट हाउस के पास रानीजोत की ओर जाने वाले मार्ग पर एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में खड़ा है, जिसके पास नशीला पदार्थ है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम अशरफ अली पुत्र अकबर अली, निवासी साहबगंज, निकट नूरामल मंदिर, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा बताया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से काले रंग की पन्नी में रखा गांजा बरामद हुआ। इलेक्ट्रॉनिक तराजू से वजन कराने पर पन्नी सहित गांजे की कुल मात्रा 01.110 किग्रा० पायी गयी तथा उसके कब्जे से ₹610/- नगद भी बरामद हुए। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01- अशरफ अली पुत्र अकबर अली, निवासी साहबगंज, निकट नूरामल मंदिर, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01- मु०अ०सं० 955/2026, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

- 1.110 किग्रा0 गांजा
- ₹610/- नगद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. उ0नि0 अजय कुमार सिंह, थाना कोतवाली नगर, गोण्डा
2. हे0का0 रवि प्रकाश यादव
3. हे0का0 दीनदयाल यादव, कोबरा-01
4. हे0का0 विश्वामित्र त्रिपाठी, कोबरा-02
5. का0 उत्तम दीक्षित
6. का0 विजय कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक: 19.10.2026

थाना कौड़िया पुलिस द्वारा चोरी करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, चोरी की पायल व 4500 रु0 नगद बरामद -

घटना का संक्षिप्त विवरण—

वादी हरिश्चन्द्र पाण्डेय पुत्र मुंशीलाल पाण्डेय निवासी ग्राम कुरुरदेवरवा, मौजा महापारा द्वारा थाना कौड़िया में लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 28.08.2026 की रात्रि में अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर के बरामदे में सो रही युवती के गले से ओम, कान की बाली तथा पायल चोरी करने का प्रयास किया गया। इसी दौरान युवती के जाग जाने एवं शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। वादी की रिश्तेदार की पायल भी चोरी होने की बात प्रकाश में आई थी। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कौड़िया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ।

कार्यवाही—

थाना कौड़िया पुलिस द्वारा क्षेत्र में रात्रि गश्त, संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की चेकिंग तथा अपराधों की रोकथाम के दौरान दिनांक 19.10.2026 को समय करीब 01:52 बजे बौनापुर मोड़ से लगभग 300 मीटर आगे खैरम चौराहे की ओर जाने वाली सड़क से अभियुक्त आरिफ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 02 जोड़ी (कुल 04 अदद) सफेद धातु की पायल तथा ₹4,500 नकद बरामद किए गए। पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा अन्य थाना क्षेत्रों में भी चोरी की घटनाएं करने की बात बताई गई, जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित थानों को सूचित किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कौड़िया पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

आरिफ पुत्र अकरम निवासी ग्राम बिरवा, थाना कौड़िया, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0 210/2026, धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस, थाना कौड़िया, जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

1. चोरी की 02 जोड़ी (कुल 04 अदद) सफेद धातु की पायल।
2. ₹4,500 नकद, अभियुक्त के बताए अनुसार विभिन्न स्थानों से चोरी किए गए सामान को बेचकर प्राप्त धनराशि।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. उ0नि0 राहुल प्रताप सिंह, थाना कौड़िया, जनपद गोण्डा।
2. उ0नि0 शेषनाथ पाण्डेय, थाना कौड़िया, जनपद गोण्डा।
3. का0 बृजेश कुमार।
4. का0 दीपक कुमार।
5. का0 सुमित मिश्रा।
6. का0 रिषित कुमार।
7. हे0का0 विजयभान यादव।
8. हे0का0 अरुण कर सिंह।
9. का0 गगनचन्द यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक: 19-10-2026

मिशन शक्ति अभियान फेज-6.0 के अंतर्गत जनपद के समस्त थानों की मिशन शक्ति टीमों द्वारा गांवों में पहुंचकर महिलाओं एवं बालिकाओं को किया गया जागरूक-

गोण्डा। मिशन शक्ति अभियान फेज-6.0 के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन तथा उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जनपद गोण्डा के समस्त थानों की मिशन शक्ति टीमों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों के विभिन्न गांवों में जाकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों के दौरान मिशन शक्ति टीमों ने महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित कर उन्हें नारी सुरक्षा, साइबर सुरक्षा एवं स्वावलंबन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारीयां प्रदान कीं। टीमों द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को बताया गया कि वर्तमान समय में डिजिटल माध्यमों का उपयोग बढ़ने के साथ-साथ साइबर अपराध के विभिन्न तरीके भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक खाते से संबंधित विवरण, ओटीपी, एटीएम/डेबिट कार्ड की जानकारी अथवा अन्य गोपनीय सूचनाएं साझा न करें। अनजान लिंक पर क्लिक करने, संदिग्ध कॉल एवं मैसेज के माध्यम से भेजे गए प्रलोभनों में आने तथा सोशल मीडिया पर अपरिचित व्यक्तियों से सावधानीपूर्वक संवाद करने के संबंध में भी जागरूक किया गया। इसके साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग करने, अपनी निजी तस्वीरें एवं जानकारीयां साझा करते समय सतर्क रहने तथा किसी भी प्रकार की ऑनलाइन धोखाधड़ी या साइबर उत्पीड़न की स्थिति में तत्काल संबंधित माध्यमों से शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया गया। जागरूकता कार्यक्रमों के दौरान मिशन शक्ति टीमों द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सम्मान एवं सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए बताया गया कि किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, पीछा करने, अभद्र व्यवहार, घरेलू हिंसा, उत्पीड़न अथवा अन्य किसी अप्रिय घटना की स्थिति में चुप न रहें, बल्कि तत्काल पुलिस को सूचना दें। उन्हें यह भी बताया गया कि पुलिस महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है तथा उनकी शिकायतों पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त महिलाओं एवं बालिकाओं को शिक्षा, आत्मनिर्भरता, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसरों के प्रति जागरूक करते हुए अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने तथा किसी भी समस्या की स्थिति में बिना किसी भय या

संकोच के सहायता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस दौरान मिशन शक्ति टीमों द्वारा महिला सुरक्षा एवं सहायता से संबंधित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी गई, जिनमें वीमेन पावर लाइन-1090, महिला हेल्पलाइन-181, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, चाइल्ड हेल्पलाइन-1098 तथा साइबर अपराध हेल्पलाइन-1930 प्रमुख हैं। महिलाओं एवं बालिकाओं को इन हेल्पलाइन नंबरों के उपयोग तथा आवश्यकता पड़ने पर संबंधित सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया। गोण्डा पुलिस द्वारा मिशन शक्ति अभियान फेज-6.0 के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने, उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने, साइबर अपराधों के प्रति सतर्क करने तथा उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से निरंतर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गोण्डा पुलिस आमजन से अपील करती है कि महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सुनिश्चित करने में सहयोग करें तथा किसी भी प्रकार की आपात स्थिति या अपराध की जानकारी होने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक: 19.10.2026

साइबर जागरूकता माह अक्टूबर के अंतर्गत गोण्डा पुलिस द्वारा वित्तीय साइबर अपराध की रिपोर्टिंग के प्रति आमजन को किया गया जागरूक-

गोण्डा। साइबर अपराधों की रोकथाम एवं आमजन को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से अक्टूबर माह में चलाए जा रहे साइबर जागरूकता अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 19.10.2026 को जनपद गोण्डा के समस्त थानों द्वारा वित्तीय साइबर अपराध की रिपोर्टिंग (Financial Cyber Crime Reporting) विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर आमजन को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान लोगों को बताया गया कि यदि उनके साथ ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी, यूपीआई फ्रॉड, एटीएम/डेबिट कार्ड से संबंधित धोखाधड़ी, फर्जी निवेश के नाम पर ठगी अथवा किसी अन्य प्रकार का वित्तीय साइबर अपराध होता है, तो बिना देरी किए इसकी शिकायत दर्ज कराना आवश्यक है। साइबर ठगी का शिकार होने पर तत्काल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें तथा आधिकारिक वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। आमजन को जागरूक किया गया कि साइबर ठगी होने पर शीघ्र शिकायत करने से ठगी की गई धनराशि को रोकने अथवा वापस प्राप्त करने की संभावना बढ़ सकती है। साथ ही, किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ ओटीपी, यूपीआई पिन, एटीएम पिन, बैंक खाते से संबंधित गोपनीय जानकारी साझा न करने तथा संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचने की अपील की गई। गोण्डा पुलिस द्वारा आमजन से अपील की जाती है कि वित्तीय साइबर अपराध की स्थिति में घबराएं नहीं, तत्काल 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं तथा www.cybercrime.gov.in का उपयोग करें। साइबर अपराधों के प्रति सतर्क रहें और जागरूकता संबंधी जानकारी अपने परिवार, मित्रों एवं आसपास के लोगों तक पहुंचाकर साइबर अपराधों की रोकथाम में सहयोग करें।

मीडिया सेल. गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक: 19.10.2026

यक्ष ऐप की मदद से 05 घंटे के अंदर चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की पहचान कर चोरी की घटनाओं का खुलासा, चोरी के आभूषण, ₹14,000 नकद व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 18.10.2026 की रात्रि में थाना तरबगंज क्षेत्रान्तर्गत पं. दीनदयाल चौराहे पर स्थित रितिक ज्वैलर्स की दुकान का शटर तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा चांदी के आभूषण एवं अन्य सामान चोरी कर लिया गया था। इस संबंध में वादी दिलीप कुमार सोनी की तहरीर पर थाना तरबगंज में मु0अ0सं0 325/2026 धारा 331(4), 305(e), 324(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही—

चोरी की घटना के अनावरण हेतु थाना तरबगंज पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर की सूचना एवं तकनीकी माध्यमों की सहायता से जांच की जा रही थी। इसी क्रम में थाना नवाबगंज क्षेत्र में रात्रि गश्त के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा बैग एवं मोटरसाइकिल छोड़कर फरार होने की घटना सामने आई। बैग की जांच करने पर उसमें आभूषण बरामद हुए। संदिग्ध व्यक्तियों के संबंध में यक्ष ऐप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सत्यापन किया गया। ऐप पर गुलशन पुत्र कमला प्रसाद निवासी कस्बा नवाबगंज के संबंध में चोरी के मुकदमों की जानकारी मिलने पर पुलिस द्वारा संबंधित व्यक्तियों के घरों पर तस्दीक कराई गई तथा उनकी गतिविधियों के संबंध में जानकारी जुटाई गई। प्रकाश मे आये शातिर चोरो मे से 02 आरोपी अभियुक्तो रमन गुप्ता व अंशुमान भारती को थाना तरबगंज पुलिस द्वारा दुर्जनपुर घाट बंधे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो के विरूद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय खाना किया गया।

पूछताछ का विवरण—

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दिनांक 18.10.2026 की रात्रि में रितिक ज्वैलर्स की दुकान का शटर एवं सामने लगे कैमरे को लोहे के सब्बल से क्षतिग्रस्त कर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। चोरी किए गए माल को बेचने के उद्देश्य से वे जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। अभियुक्तों ने थाना तरबगंज क्षेत्र के तुमंदरपुरवा गांव में दिनांक 08.10.2026 की रात्रि में एक घर से जेवर एवं रुपये चोरी करने तथा थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के जानकीनगर मोहल्ले में भी एक मकान में चोरी करने की जानकारी दी। उक्त घटनाओं के संबंध में प्राप्त जानकारी का सत्यापन कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

1. रमन गुप्ता पुत्र सुरेश गुप्ता, निवासी मोहल्ला मुट्टीगंज, कस्बा नवाबगंज, जनपद गोण्डा।
2. अंशुमान भारती पुत्र छोटे लाल, निवासी मोहल्ला चाई टोला, कस्बा नवाबगंज, जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग—

1. मु0अ0सं0 325/2026, धारा 331(4), 305(e), 324(2) एवं 317(2) बीएनएस, थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा।
2. मु0अ0सं0 312/2026, धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

1. सफेद धातु के 02 अदद हारा
2. सफेद धातु के तार का 01 गुच्छा।
3. सफेद धातु की 104 अदद बिछिया।
4. सफेद धातु की 04 अदद चेना।

5. सफेद धातु के 04 अदद लॉकेट।
6. सफेद धातु के 02 अदद टॉप्स।
7. सफेद धातु के 09 अदद बड़े एवं 01 अदद छोटा पुराना सिक्का।
8. सफेद धातु के 06 अदद ब्रेसलेट।
9. सफेद धातु के पूजा संबंधी 161 अदद सामान।
10. सफेद धातु की 156 अदद अंगूठियां।
11. सफेद धातु की 16 अदद राखियां।
12. ₹14,000 नकद।
13. घटना में प्रयुक्त 01 अदद हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल।
14. घटना में प्रयुक्त 01 अदद लोहे का सब्बल।
15. 01 अदद लोहे का कटर तथा 01 पीला एवं 01 लाल गमछा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. उ0नि0 अखिलेश यादव, थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा।
2. उ0नि0 सुनील कुमार सिंह, थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा।
3. का0 सचिन अवस्थी, थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा।
4. का0 अंकित राय, थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा।
5. का0 प्रमोद वर्मा, थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा।
6. का0 आदर्श सोनी, थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा।

मीडिया, सेल, गोण्डा।

